संख्या-23/2015/691/60-1-15-1/13(97)12

प्रेषक,

नन्दलाल प्रसाद
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

महिला कल्याण एवं बाल विकास अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक 04 जून, 2015

विषय-: वित्तीय वर्ष 2015-16 मे राजकीय बाल गृह शिशु शिवकुटी, राजकीय दत्तक ग्रहण इकाई एवं राजकीय बाल गृह बालिका के भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपयुक्त विषयक् अपने पत्र संख्या-240/निदे0म0क0/प्रोबे0/निर्माण/2015-16 दिनांक 15.05.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। परियोजना लागत 272.96 लाख के सापेक्ष शासन के पत्र संख्या-1418/60-1-14-1/13(97)12, दिनांक 18.07.2013 द्वारा रू0 50,00,000 मात्र तथा पत्र संख्या-458/60-1-14-1/13(97)/12, दिनांक 25.03.2014 द्वारा रू0 1.00 करोड (रूपये एक करोड) की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त के क्रम में श्री राज्यपाल राजकीय बाल गृह शिशु, राजकीय दत्तक ग्रहण इकाई शिवकुटी एवं राजकीय बाल गृह बालिका इलाहाबाद के भवन निर्माण हेतु रू0 1.00 करोड (रूपेय एक करोड मात्र) की स्वीकृति प्रदान करते है। शासनादेश संख्या-1499/60-1-13-1/13(97)/12, दिनांक 13.08.2013 में उल्लिखित शर्ते लागू रहेगी।

3- उक्त स्वीकृति धनराशि विततीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-01-केन्द्रीय आयोजनागत केन्द्र द्वारा परियोजना योजनायें-02-विभागीय संस्थाओं/ग्रहों का निर्माण(के-50/रा0-50के रा0)-24-वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त स्वीकृति धनराशशि आहरित कर बैंक, डाकघर एवं पीएलए में नही रखी जायेगी।

यह आदेश वित्त विभाग की कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/10-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

¼नन्दलाल प्रसाद½
उप सचिव

संख्या-23/2015/691(1)/60-1-15, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्ये कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिला अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी, इलाहाबाद।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एंव सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, महिला कल्याण।
6- योजना अधिकारी, निदेशालय, महिला कल्याण।
7- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-3।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

¼नन्दलाल प्रसाद½
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।